रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226629
CG-DL-E-15042021-226629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943
No. 211]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 262(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 110 उपधारा (2) और (6) के साथ पठित धारा 114 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील करना) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील करना) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील करना) नियम, 2016 में नियम 5 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) यदि, संवीक्षा पर, रजिस्ट्रार अपील को त्रुटिपूर्ण पाता है, जहां –

(क) अपीलार्थी ऐसी अपील वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत करता है और त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तब रजिस्ट्रार इसको अपनी उपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा परिशोधन की अनुमति दे सकेगा;

(ख) यदि त्रुटि खंड (क) में निर्देशित से अन्यथा है तब यह अपीलार्थी को रजिस्ट्रीकृत डाक या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा सूचना देगा, रजिस्ट्रार द्वारा दी गई ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर त्रुटि को दूर करना होगा।"

[फा. सं. 12018/01/2015-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 179(अ), तारीख 17 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (lb) of sub-section (2) of section 114, read with sub-sections (2) and (6) of section 110 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Insurance (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Insurance (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2016, in rule 5, for sub-rule (3), following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) If, upon scrutiny, the Registrar finds an appeal to be defective, where—

(a) the appellant has presented such appeal in person and the defect is formal in nature, the Registrar may allow the same to be rectified in his presence by the appellant;

(b) the defect is other than referred to in clause (a), he shall give intimation to the appellant by registered post or electronic mail, to remove the defects within fifteen days from the date of such intimation given by the Registrar.".

[F. No. 12018/01/2015-Ins. II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 179(E), dated the 17th February, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.15 20:03:33 +05'30'